राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सन्दीप / श्रीमति मन्नीदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	451/2020	
13/11/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है , जिसमे अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर अपीलाधीन अंतरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है। एवं अपील के इस स्तर पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कोई ऐसा युक्तियुक्त कारण इस न्यायालय के समक्ष जाहिर नही हुआ है जिससे कि इस न्यायालय को आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हो एवं चूँकि दोनों पक्ष इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुये पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। दोनो पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय की प्रति सहित दिनांक 24/11/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 13/11/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	